



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245713
CG-DL-E-05052023-245713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2023]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 2023]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2023

का.आ. 2111(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिला अधिकारी (वित्त/राजस्व), चन्दौली, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : चन्दौली

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
1	पं०दी०द०उपा० नगर	परसुरामपुर	81	0.0800
2			83	0.0100
3	पं०दी०द०उपा० नगर	धरना	981	0.0120
4			982	0.0120
5			983	0.0160
6	पं०दी०द०उपा० नगर	जफरपुर	184	0.0020
7			60	0.0100
8	पं०दी०द०उपा० नगर	डिहवा	137	0.0060
9			153	0.0300
10			149	0.0420
11	पं०दी०द०उपा० नगर	कमलापुर	121	0.0940
12			81	0.0130
13			79	0.0130
14			78	0.0530
15	पं०दी०द०उपा० नगर	खजूरगाँव	573	0.0302
16			596	0.0310
17			592	0.0032
18			624	0.0020
19			623	0.0150
20			622	0.0260
21			603	0.0050
22			262	0.0010
23			287	0.1142
24			629	0.1500
25			625	0.1030
26			593	0.0500
27			619	0.0300
28			604	0.0150
29			606	0.0030
30			291	0.0020
31			288	0.0200

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
32	पं०दी०द०उपा० नगर	हथेरवा	5	0.0085
33			6	0.0360
34			33	0.0090
35	पं०दी०द०उपा० नगर	हृदयपुर	299	0.0320
36			298	0.0330
37			297	0.0500
38			296	0.0420
39			292	0.0260
40			291	0.0680
41			290	0.1400
42			286	0.1400
43	पं०दी०द०उपा० नगर	छित्तमपुर	29	0.0410
44			158	0.0340
45			5	0.0100
46			6	0.0300
47			7	0.0100

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2399]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st May, 2023

S.O. 2111(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Chandauli, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Chandauli in the State of Uttar Pradesh.

District: Chandauli

Sr. No.	Tahsil	Village	Gata no.	Area (in Hectare.)
1	Pt. DDU Nagar	Parasrampur	81	0.0800
2			83	0.0100
3	Pt. DDU Nagar	Dharna	981	0.0120
4			982	0.0120
5			983	0.0160
6	Pt. DDU Nagar	Jafarpur	184	0.0020
7			60	0.0100
8	Pt. DDU Nagar	Dihwa	137	0.0060
9			153	0.0300
10			149	0.0420
11	Pt. DDU Nagar	Kamlapur	121	0.0940
12			81	0.0130
13			79	0.0130
14			78	0.0530
15	Pt. DDU Nagar	Khajurgaw	573	0.0302
16			596	0.0310
17			592	0.0032
18			624	0.0020
19			623	0.0150
20			622	0.0260
21			603	0.0050
22			262	0.0010
23			287	0.1142
24			629	0.1500
25			625	0.1030
26			593	0.0500
27			619	0.0300
28			604	0.0150
29			606	0.0030
30			291	0.0020
31			288	0.0200

Sr. No.	Tahsil	Village	Gata no.	Area (in Hectare.)
32	Pt. DDU Nagar	Hatherwa	5	0.0085
33			6	0.0360
34			33	0.0090
35	Pt. DDU Nagar	Hridaypur	299	0.0320
36			298	0.0330
37			297	0.0500
38			296	0.0420
39			292	0.0260
40			291	0.0680
41			290	0.1400
42			286	0.1400
43	Pt. DDU Nagar	Chhittampur	29	0.0410
44			158	0.0340
45			5	0.0100
46			6	0.0300
47			7	0.0100

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2399]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)